संख्या-11/2025/।/914743/2025/003-71-4099-1735-2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2025

विषयः- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में पैरामेडिकल कालेज के निर्माणाधीन अतिरिक्त आवासीय एवं अनावासीय नवीन भवनों के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-940/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/अनु0/2024-25, दिनांक-08.07.2024 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-।/905847/2025/71-4099/1735/2019, दिनांक-12.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 9034.56 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. अवगत कराना है कि उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के अंतर्गत पैरामेडिकल कालेज के निर्माणाधीन अतिरिक्त आवासीय एवं अनावासीय नवीन भवनों के निर्माण के संबंध में मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-21/2015/29/71-2-2015-एस-20/2009, दिनांक-09.02.2015 द्वारा लागत रू0 58,78,86, 000 /- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 18,82,53,000/- की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या-32/2015/1091/71-2-2015-एस-20/2009, दिनांक-25.03.2015 द्वारा रू0 3,95,33,000/- , शासनादेश संख्या-89/2015/3759/71-2-2015-एस-20/2009, दिनांक-02.11.2015 द्वारा रू0 25,00,00,000/-,शासनादेश संख्या-38/2017/837/71-2-2015-एस-20/2009, दिनांक-23.03.2017 द्वारा रू0 8,06,06,000/- तथा शासनादेश संख्या-39/2017/898/71-2-2015-एस-20/2009, दिनांक-23.03.2017 द्वारा रू0 1,00,00,000/- अर्थात कुल धनराशि रू0 56,83,92,000.00/- अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-83 में वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत परियोजना के लिए रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-26.08.2014 (यथासंशोधित) तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-04 मार्च, 2024 (यथासंशोधित) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलसचिव/कार्यदायी संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. आहरित धनराशि को डाक घर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
5. शासनादेश संख्या-21/2015/29/71-2-2015-एस-20/2009, दिनांक-09.02.2015 की शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. शासनादेश संख्या-।/905847/2025/71-4099/1735/2019, दिनांक-12.03.2025 की शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037893000 पेरामेडिकल इंस्टीट्यूट, सैफई, इटावा मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
6. प्रबन्ध् निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0,लखनऊ।
7. ईकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, सैफई,इटावा।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।